फैक्स /विशेष संदेशवाहक/
स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.**437/6/1**/ईसीआई/अनुदेश/प्रकार्यात्मक/एम.सी.सी./**2017** दिनांक : **24** नवम्बर, 2017

सेवा में

1. मन्त्रिमंडल सचिव,
भारत सरकार,
राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली।

2. मुख्य सचिव :-
क) अरूणाचल प्रदेश, ईटानगर
ख) तमिलनाडु, चेन्नई
ग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ
घ) पश्चिम बंगाल, कोलकाता

3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी :-
क) अरूणाचल प्रदेश, ईटानगर
ख) तमिलनाडु, चेन्नई
ग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ
घ) पश्चिम बंगाल, कोलकाता

विषय : अरूणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल की राज्य विधान सभाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन - आदर्श आचार संहिता के प्रर्वतन पर अनुदेश-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी.एन./**89**/**2017**, दिनांक **24** नवम्बर, 2017 के जरिए निम्नलिखित विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से उप-निर्वाचनों की अनुसूची की घोषणा की है:-

राज्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का नाम एवं सं.
अरूणाचल प्रदेश	**12**-पक्के-कसांग (अ.ज.जा.) **28**-लीकाबली (अ.ज.जा.)
तमिलनाडु	**11**- डॉ० राधाकृष्णन नगर
उत्तर प्रदेश	**207**-सिकन्दरा
पश्चिम बंगाल	**226**-साबंग

आदर्श आचार संहिता के उपबंध उस/उन जिला/जिलों में तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त हो गए हैं जिनमें उप-निर्वाचनरत विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में सम्मिलित हैं। यह आयोग की अधिसूचना सं.**437/6**/अनुदेश/**2016**-सी.सी.एस. दिनांक **29** जून, 2017 (प्रति संलग्न) के जरिए यथा-निर्गत आंशिक आशोधन की शर्त के अधीन है।

2. इसे सभी सबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

ह./-

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

सं.**437/6**/अनुदेश/**2016**-सीसीएस दिनांक: **29** जून, 2017

सेवा में

1. सभी राज्यों एव संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।
2. सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
3. सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल।

विषय: आदर्श आचार संहिता-अनुदेश-संसदीय/विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के उप-निर्वाचन-तत्संबंधी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने मामले की समीक्षा की है और अपने पूर्ववर्ती अनुदेशों में निम्नलिखित संशोधन जारी किए हैं:-

1. <u>आदर्श आचार संहिता लागू करना</u>

पत्र सं.437/6/अनुदेश/2012/सीसी एवं बीई दिनांक 26.04.2012 तथा सं.437/6/अनुदेश/2012/सीसी एवं बीई दिनांक 21.10.2013 में अंतर्विष्ट आयोग के अनुदेशों में संबंधित जिले या संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पर आदर्श आचार संहिता की अनुप्रयोज्यता के विभिन्न प्रावधानों की सूची दी गई है। ये अनुदेश इस सीमा तक संशोधित किए गए हैं कि यदि निर्वाचन-क्षेत्र राज्य की राजधानी/महानगर/नगर निगमों में समाहित है तो उपर्युक्त अनुदेश केवल संबंधित निर्वाचन -क्षेत्र के इलाके पर ही लागू होंगे। अन्य सभी मामलों में, आदर्श आचार संहिता उप-निर्वाचन (नों) के लिए नियत निर्वाचन-क्षेत्र को समाहित करने वाले पूरे जिले (लों) पर लागू होगी।

2. विज्ञापनों का प्रकाशन

आयोग ने दिनांक 25 जून, 2013 को निदेश दिया कि उप-निर्वाचनों के संबंध में आदर्श आचार संहिता के प्रचालन की अवधि के दौरान विज्ञापनों को रिलीज करना/उनका प्रकाशन निम्नलिखित अनुसार विनियमित होंगे:-

(i) महत्ता के विशिष्ट अवसरों के संबंध में साधारण प्रकृति के विज्ञापन प्रकाशित किए जा सकते हैं। हालांकि ऐसे प्रकाशन केवल विशेष अवसरों के साथ घटित होने वाली तारीखों तक सीमित रहेंगे तथा इसे अन्य दिनों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। विज्ञापन पर किसी मंत्री या अन्य राजनैतिक पदाधिकारियों के फोटोग्राफ नहीं अंकित होंगे।

(ii) इस अवधि के दौरान किसी भी तारीख को ऐसा कोई भी विज्ञापन रिलीज/प्रकाशित नहीं किया जाएगा। जिसका उप निर्वाचन वाले निर्वाचन-क्षेत्रों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों के प्रति कोई विनिर्दिष्ट/सुस्पष्ट संदर्भ या लक्ष्यार्थ हो।

इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उन जिलों में, जहां पर उप- निर्वाचन आयोजित किए जा रहे है कोई भी नई योजना का विज्ञापन नहीं किया जाएगा। (उपर्युक्त उप-पैरा (ii) संशोधित होता है)

3. मंत्रियों के दौरे

किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र, चाहे वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हो या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, से उप-निर्वाचनों के दौरान मंत्रियों के दौरे के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2007 को जारी किए गए अनुदेश के अनुसार निम्नलिखित प्रतिबंध लागू हैं। जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध किया गया है कि

(i) सभी मंत्री, चाहे वे केन्द्रीय मंत्री हों या राज्य के, उप-निर्वाचनों की घोषणा के बाद अपने आधिकारिक दौरों को, किसी भी तरीके से, निर्वाचन-कार्य के साथ नहीं जोड़ेंगे। जिस/जिन जिले (लों) में उप-निर्वाचन आयोजित किए जा रहें है और जहां इस कारण से आदर्श आचार संहिता लागू है, उनमें सभी और कोई भी यात्रा पूर्णतया निजी प्रकृति की होगी।

(ii) ऐसे मामले में जिसमें आधिकारिक कार्य पर यात्रा कर रहे मंत्री, शासकीय विजिट पर किसी अन्य जिले के लिए उस जिले (जिलों) के माध्यम से गुजरते हैं जिसमें उप-निर्वाचन आयोजित किए जा रहे हैं तो वे किसी भी राजनीतिक कार्य में भाग नहीं लेंगे।

इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट किया जाता है कि मंत्री या समतुल्य रैंक/हैसियत धारण करने वाले व्यक्ति सरकारी उद्देश्यों वाली अपने सरकारी यात्रा को, उस स्थान जहां आदर्श आचार संहिता लागू नहीं है, से होकर ऐसे स्थान जहां निर्वाचन प्रचार के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है, के लिए मार्ग-निर्धारित करके संयोजित नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो सम्पूर्ण यात्रा व्यय निर्वाचन व्यय समझा जाएगा। (उपर्युक्त उप पैरा (ii) संशोधित होता है)

4. अधिकारियों के स्थानांतरण/तैनाती के संबंध में

ऐसे सभी अधिकारियों के लिए, जो राज्य में उप-निर्वाचन के संचालन से जुडे हुए हैं, स्थानांतरण नीति के कार्यान्वयन पर भारत निर्वाचन आयोग के विद्यमान अनुदेश संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में लागू होंगे। इस नीति को लागू करते समय डीईओ/आरओ को ध्यान रखना चाहिए कि निर्वाचन संबंधी किसी ड्यूटी के लिए निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के किसी अधिकारी की तैनाती भी आयोग की स्थानांतरण नीति के समनुरूप होगी।

5. **<u>महंगाई भत्ते (डी.ए.) की घोषणा के संबंध में</u>**

उप-निर्वाचन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग का ऐसा कोई अनुदेश नहीं है जिसमें राज्य सरकारों को ऐसे निर्णय लेने से रोका जाए जिसका राज्यव्यापी और परिणामत: संबंधित निर्वाचन क्षेत्र पर प्रभाव हो।

इस संबंध में सभी संबंधित तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, आयोग ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (डी.ए.) की घोषणा एक नेमी (रूटीन) कामकाज के रूप में की जा सकती है परन्तु इसका सरकार की उपलब्धि के रूप में प्रचार-प्रसार नहीं किया जाना चाहिए।

कृपया सभी संबंधितों को सूचित करें तथा यथोचित प्रचार-प्रसार करें और पत्र का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

ह./-

(आर.के.श्रीवास्तव)
वरि. प्रधान सचिव